लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/74/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः–17.08.2020
GCMS No.:-2020/00311

श्री जगदीश चन्द्र पिता बद्रीलाल जाट निवासी आजोलियों का खेड़ा, तहसील गंगरार

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.06.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 74/2020/(15.09)/544 दिनांक 19.08.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 15.09.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.09.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/301 दिनांक 24.08.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 74 / 2020 (सू.अ.)
श्री जगदीश चन्द्र जाट निवासी आजोलियों का खेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

1. यह कि प्रार्थी श्री जगदीश चन्द्र पिता बद्रीलाल जाट निवासी आजोलियों का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2020 को प्रस्तुत किया जो प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना प्रभारी अधिकारी, भूमि अवाप्ति अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर प्रार्थी को दिनांक 07.07.2020 को व्यक्तिशः उपलब्ध कराई गई। सूचना प्राप्ति की पावती प्रति पत्र के संलग्न है।
3. यह कि कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि अवाप्ति), चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एडीएम/भूमि अवाप्ति/लोसूअ/2020/143 दिनांक 17.06.2020 के पत्र से प्रार्थी को अवगत कराया गया था कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 एवं 12 के संबंध में स्पष्ट विवरण अंकित नहीं होने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं है।
4. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3, 5, 7, 8 ,9, 10 एवं 11 के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई तथा बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 एवं 12 के संबंध में अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/301 दिनांक 24.08.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2460 दिनांक 17.06.2020 से उसके द्वारा वांछित सूचना का प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने तथा पत्रांक/एडीएम/भूमि अवाप्ति/लोसूअ/2020/143 दिनांक 17.06.2020 से उसके द्वारा वांछित शेष बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 एवं 12 में चाही गई सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है तथा

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 74/2020 (सू.अ.)
श्री जगदीश चन्द्र जाट निवासी आजोलियों का खेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को उसके द्वारा वांछित सूचना का न तो स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया गया और न ही कोई पत्र व्यवहार किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मात्र अपने अपील मेमो में संबंधित पत्रावली का निरीक्षण करने के उपरान्त ही उक्त सूचनाऐं चाही जाने का अंकन किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को वांछित बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 एवं 12 की सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है और ना ही कोई पत्र व्यवहार किया है तथा प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

अतः अपीलार्थी को पुनः संबंधित पत्रावली का निरीक्षण कर उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 एवं 12 की सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(के. के. शर्मा)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./74/2020(सू.अ.)/ 607 दिनांकः— 15/09/2020

प्रतिलिपिः—

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री जगदीश चन्द्र पिता बद्रीलाल जाट निवासी आजोलियों का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)